[illegible] उपखण्ड एवं उपजिला मजिस्ट्रेट

बनेडा जिला भीलवाडा(राज.)

अजा अदालत उपखण्ड अधिकारी बनेडा मुकाम बनेडा

श्रीमति देऊ गुर्ज वगै   **बनाम**   रामदेव गुर्जर वगै0

[illegible] मुकदमा ......प्रा.पत्र 212 आर.टी.एक्ट..न. 02 सन् 2015

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकमा जो इस हुक्म की तामील मे जारी हुए
[illegible]	पत्रावली आज राजस्व लोक अदालत 2017 केम्प मुकाम कासोरिया में पेंश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित। प्रार्थी द्वारा प्रा.पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट पेश कर निवेदन किया कि विवादित आराजीयात ग्राम जासोरिया पटवार हल्का कासोरिया भू0अ0निरीक्षक डाबला तह. बनेडा जिला भीलवाडा में स्थित खतौनी संख्या 159 **आराजी सख्यां 1160, 1161, 1202, 1203, 1204, 1205, 1213, 1214, 1250, 1251, 1254 कुल किता 11 कुल रकबा 20–03 बीघा** आराजीयात जो वर्तमान में प्रार्थी संख्या 06 व विपक्षीगण के नाम खातेदारी हक से दर्ज रिकार्ड है। जिसमें प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थनापत्र बहस करनी चाहने से, बहस एकपक्षीय सुनी गई। बहस के दौरान प्रार्थीगण द्वारा कथन कर निवेदन किया कि वादग्रस्त आराजीयात साबिक रेकार्ड में प्रार्थीगण एंव विपक्षीगण संख्या 01 लगायत 04 के पूर्वज के नाम पर दर्ज थी, जिस पर प्रार्थीगण का अनवरत् काबिज होकर उपयोग उपभोग करते चले आ रहे है। विवादित आराजीयात हरलाल की मृत्युपरान्त विरासत से नामान्तकरण हरलाल के दोनो पुत्र हरदेव व श्रीकिशन के नाम खुला उक्त आराजियात में हरदेव 1/2 हिस्सा व श्रीकिशन का 1/2 हक हिस्सा निहित है। श्रीकिशन की मृत्युपरान्त खुले नामान्तकरण में गंगाराम व प्रार्थी संख्या 06 पांचुलाल के नाम खुला जबकि प्रार्थीगण सख्या 01 लगायत 05 प्रथम श्रेणी की वारिस होकर प्रार्थीगण संयुक्त रूप से काबिज होकर उसका उपयोग उपभोग करते चले आ रहे है। यदि भविष्य में विपक्षी द्वारा वादग्रस्त आराजीयात भूमि का विक्रय, अन्तरण, हस्तान्तरण, रहन, बक्षीस आदि करते है, तो प्रार्थीगण को अपूर्णीय क्षती होगी एंव वाद व प्रार्थनापत्र प्रस्तुत करने का कोई ओचित्य ही नही रह जावेगा। अतः प्रकरण में मूल वाद के निस्तारण तक अस्थाई निषेधाज्ञा से विपक्षी को रेकार्ड एंव मौके कि यथास्थिती बनाये रखने बाबत पांबद किये जाना फरमावें। प्रकरण के अवलोकन से यह प्रतीत होता है कि यदि विपक्षी द्वारा प्रार्थीगण की पुश्तैनी आराजीयात का अन्तरण कर दिया जाता है तो निश्चित रूप से प्रार्थीगण के हक प्रभावित होगें। इसके अतिरिक्त सुविधा व संतुलन की दृष्टी को मध्यनजर रखते हुए भी प्रकरण प्रार्थीगण के पक्ष प्रथमदृष्टया बनता है। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थनापत्र इस प्रकार स्वीकार किया जाता है की प्रार्थनापत्र की चरण संख्या 4 में वर्णित आराजीयात में सें ग्राम जासोरिया पटवार हल्का कासोरिया भू0अ0निरीक्षक डाबला तह. बनेडा जिला भीलवाडा में स्थित खतौनी संख्या 159 **आराजी सख्यां 1160, 1161, 1202, 1203, 1204, 1205, 1213, 1214, 1250, 1251, 1254 कुल किता 11 कुल रकबा 20–03 बीघा** में राजस्व रेकार्ड की यथास्थिति बनाये रखने हेतु विपक्षीगण संख्या 01 लगायत 05 को अस्थायी निषेधाज्ञा से मूल वाद के निस्तारण तक पाबंद किये जाने की आज्ञा पारित की जाती है। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर फैशल शुमार हो तथा मूल वाद के साथ नत्थी रहे। उपखण्ड अधिकारी बनेडा जिला भीलवाडा	